इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018—वैशाख 28 शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1(बी)01-2017-पचास-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :

संशोधन

उक्त नियमों में, –

(1) अनुसूची– एक में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	पर्यवेक्षक	3409	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड पे 2400	–"–

(2) अनुसूची– दो में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

विभाग का नाम	पद की सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति (पद का नया नाम)
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानां. / प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. महिला एवं बाल विकास	पर्यवेक्षक	3409 (नियमित)	100 प्रतिशत में से (50प्रतिशत ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं से सीमित चयन सीधी भर्ती द्वारा) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती में से (10 प्रतिशत पद पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा एवं शेष पद महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जावेंगे)पुरूष पर्यवेक्षकों की भर्ती केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों हेतु नियुक्त किये जायेंगे।	–	–	नियमित पर्यवेक्षकों के पद के रूप में 2855पर्यवेक्षक कार्यरत तथा संविदात्मक पर्यवेक्षक (डाइंग केडर) के रूप में 554पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। कुल पर्यवेक्षक 3409 हैं, जैसे और जब संविदात्मक पर्यवेक्षक के पद रिक्त होंगें, वे नियमित पर्यवेक्षकों के पद में परिवर्तित हो जायेंगे।

(3) अनुसूची– तीन में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 5 के सामने, कॉलम (2) में, मद (2) तथा, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुक्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		पद हेतु शैक्षणिक अर्हता
		न्यूनतम	अधिकतम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	(2) पर्यवेक्षक	18 वर्ष	25 वर्ष (महिलाओं के लिये) 25 वर्ष (पुरूषों के लिये)	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र या 10+2 (12वीं) आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिये। (ख) सीधी भर्ती के लिये, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । (ग) ऑगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव । (घ) अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिये चार अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे तथा पांच वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिये अधिकतम 20 अंक के साथ प्रत्येक पूर्ण कार्य वर्ष के लिये चार अंक दिये जायेंगे।

टीप–1 : महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र. 1(बी)6/2009/50–1, दिनांक 28.2.2014 के अनुरूप तथा कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षकों को परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में पूर्ण शिथिलीकरण दिया जाएगा तथा नियमित संवर्ग में चयन किया जायेगा। मंत्रि–मण्डल निर्णय दिनांक 18.02.2014 के संदर्भ में इन पदों के लिये कोई आयु सीमा नहीं होगी।

टीप–2 : सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.05.2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु में छूट निम्नवत् होगी :–

अनुक्रमांक	सीधी भर्ती द्वारा	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे गए राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक पदों के लिए	वर्ग तीन तथा वर्ग चार के पदों के लिए (म.प्र. लोक सेवा आयोग से भिन्न भरे गए)
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित)	28+12=40	25+15=40
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित)	28+17=45	25+20=45
3.	पुरूष/महिला आवेदक (निगम/मण्डल/स्वशासी एजेंसी तथा नगर सैनिक के कर्मचारी)	28+17=45	25+20=45
4.	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)	28+17=45	25+20=45
5.	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/शासकीय निगम/मण्डल/स्वशांसी एजेंसी तथा नगर सैनिक के कर्मचारी)	28+17=45	25+20=45
6.	विकलांग आवेदकों के लिए	28+17=45	25+20=45
मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।			

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदो के लिये अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1(बी)01-2017-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण, में इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ.1(बी)01-2017-पचास-1, दिनांक 23 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2018

F. NO. 1(B)-01-2017-L-1.— In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Mahila Evam Bal Vikas Class III (Executive) Service Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

(1) In Scheduled-I, in column (1) for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S. No.	Name Of the Post included in the service	Total No. of posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Supervisor	3409	class III	5200-20200+2400	-"-

(2) in scheduled-II, in column (1) for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely :-

Name of Department	Name of Service of Post	Total No. of Posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remark (New Name of Post)
			By Direct Recruitment	By Promotion of Members of the Service	By temporary / transfer/ deputation of persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Women and Child Development	Supervisor	3409 (Regular)	100% out of this (50% recruitment through limited selection from Aganwadi workers by direct recruitment) 50% of direct recruitment (out of this 10% filled by male candidates and remaining shall be filled by female candidates) Male Supervisors are appointed for the Insurmountable, mountainous and Forested area only.	-	-	2855 Supervisors working as regular Supervisors post and 554 Supervisors working as contractual supervisors (Dying cadre) total Supervisors are 3409, As and when contractual Supervisors posts shall fall vacant, converted to the posts of regular Supervisors .

(3) in scheduled-III, in column (1) against serial number 5, in column (2), for item (2) and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of posts	Prescribed age limit		Educational qualification for the post
		Minimum	Maximum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	(2)Supervisor	18 year	25 year (for Female) 25 year (for Male)	(a) Higher Secondary Certificate or 10+2 (12 th) from Madhya Pradesh Examination Board of secondary education and for Anganwadi workers. (b) For Direct recruitment, Graduate degree from any recognized University. (c) 5 years working experience as Anganwadi workers. (d) Additional marks shall be given to experienced working contractual Supervisor, four marks for every complete working contractual Supervisor, four marks for every complete working year with maximum twenty marks shall be given for five years of above working experience.

Note-1: As per Women and Child Development's order no. 1(B) 6/2009/50-1, Dated 28-2-2014 of and there shall be given complete relaxation in age limit for working contractual Supervisors for appearing in the examination and selection in regular cadre. There shall be no age limit for these posts in reference to the cabinet decision dated 18-02-2014.

Note-2: According to General Administration Department circular dated 12-05-2017 maximum age relaxation for resident of Madhya Pradesh shall be as under :-

S. no.	By direct ricruitment	For the posts (Gazetted/Non-Gazetted /Executive) filled by MPPSC	For the post of class III and class IV (Filled by other than MPPSC)
1.	Male applicant (Unreserved)	28+12=40	25+15=40
2.	Female applicant (Unreserved)	28+17=45	25+20=45
3.	Male/Female applicant (Employee of Corporation/Mandal/Autonomous Agency and Home guard)	28+17=45	25+20=45
4.	Male/Female applicant (Reserved category/scheduled caste/scheduled tribes and Other Backward classes)	28+17=45	25+20=45
5.	Male/Female applicant (Reserved category/Employee of Corporation/ Mandal/Autonomous Agency and Home guard)	28+17=45	25+20=45
6.	For handicapped applicant	28+17=45	25+20=45
No age relaxtation for non-resident candidates of Madhya Pradesh in any condition.			

For class III and class IV posts, candidates live registration at employments exchange of Madhya Pradesh is must.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. K. THAKUR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.